न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारी:-(मांगी लाल) RAS
त्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.
ण संख्या:- 013/2026

1 श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 राम कुमार पुत्र स्व. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:वादीगण

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 10, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3 लछमी उर्फ लछमी देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री लालचन्द जाति नायक निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4 सुगना देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री हंसराज (फौत)
4/1 रिंकू पुत्र श्रीमती सुगना देवी/हंसराज जाति नायक निवासी करमगढ तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
4/2 सुखविन्द्र पुत्र श्रीमती सुगना देवी/हंसराज (लाऔलाद फौत)
4/3 गीता देवी पुत्री श्रीमती सुगना देवी/हंसराज पत्नी श्री मंगाराम जाति नायक निवासी स्कूल के पास, करमगढ तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
5 मीरा उर्फ मीरा देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
6 बिमला देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री चानणराम जाति नायक निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
7 सुखमा देवी उर्फ सुकमा देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री कालुराम जाति नायक निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
8 चंदो देवी पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ
9 लिछमा देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द पत्नी श्री विनोद कुमार जाति नायक निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
10 भागवंती पुत्री स्व. श्रीचन्द पत्नी श्री दाराराम जाति नायक निवासी वार्ड 02, चक 11 एलकेएस-ए, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
11 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादीगण
2 श्री प्रदीप सिंह खोसा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 10
3 श्री राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 11

-:निर्णय:-

दिनांक 23.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता

ार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया है।

वादीगण के दादा सहीराम पुत्र श्री लिखमाराम के नाम चक 12 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ ाता सख्या 165/154, खाता सहीराम, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 118/230) किला नम्बर 11, 12, 19 से 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला र 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/. , 5/1/.202, 5/2/.051, पत्थर नम्बर 119/231 (44) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, /.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025 हैक्टेयर कुल 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व र्ड है।

यह है कि वादीगण के पूर्वज सहीराम की दिनांक 29.12.1997 को मृत्यु हो चुकी है। वाद पत्र चरण सख्या 2 में सहीराम के नाम दर्ज आराजी जद्दी जायदाद है तथा जद्दी जायदाद आराजी में पार्सनर होने के नाते वादीगण एंव प्रतिवादीगण का हक हिस्सा व अधिकार है। प्रतिवादी सख्या 3, 5 7, सुन्दर देवी, सुगना देवी की शादी प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अच्छ दान दहेज अच्छे घरानो में की हुई प्रतिवादी सख्या 3, 5 से 7, सुन्दर देवी, सुगना देवी की अपनी स्वतंत्र इच्छा से अर्सा दराज पूर्व ग्रस्त आराजी में अपने हक व हिस्सा को प्रतिवादी सख्या 1, 2, वादीगण, प्रतिवादी सख्या 8 से 10 पिता/पति श्रीचन्द के पक्ष में तर्क किया हुआ है तथा वादीगण, प्रतिवादी सख्या 8 से 10 के पिता/पति न्द की दिनांक 12.12.2013 को मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु उपरान्त श्रीचन्द के आधिपत्य, धारण व हिस्सा की आराजी में से प्रतिवादी सख्या 8 से 10 द्वारा अपने हक व हिस्सा अपने भाईयों/पुत्रों गण के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

यह है कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि जो कि सहीराम के नाम दर्ज राजस्व र्ड है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का अर्सा दराज पूर्व तथा हक त्याग उपरान्त ी मन्दी भूमि के अनुसार घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया है, जो निम्न प्रकार है -

(क) चक 12 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 165/154, खाता सहीराम, ाबन्दी सम्वत 2076-2079 - (i) **हिस्सा वादी सख्या 1 श्रवण कुमार** :- पत्थर नम्बर 118/230) किला नम्बर 21/.1265 हैक्टेयर (पूर्व ओर), पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 1/1/. 8, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025 हैक्टेयर कुल .6325 हैक्टेयर आराजी।

(ii) **हिस्सा वादी सख्या 2 रामकुमार** :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 11/.253, /.253, 21/.1265 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) कुल .6325 हैक्टेयर आराजी।

(iii) **हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 रामस्वरूप** :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 12, 22, 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025 य़र कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी।

(iv) **हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 ओमप्रकाश** :- पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 4/1/. 8, 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, पत्थर नम्बर 119/231 (44) किला नम्बर 1/1/.228, /.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी।

यह है कि वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज र काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी सहीराम के नाम दर्ज होने से वादीगण हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे आदि आदि तथ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन ा।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी वादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद

ो किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सख्या 11 द्वारा जवाब स्टेट पेश किय गया। वादी ने
ाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया।
रोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। प्रतिवादी सख्या 10 ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत
मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र का
भयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 1 से
जवाब वाद पत्र पेश कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। उपलब्ध
ों के आधार पर व सहमति से वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:**क्रियात्मक आदेश**:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व चक 12 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ खाता सं. 154 में दर्ज तादादी 3.795 हैक्टेयर की घोषणा की जाती है कि:-

(i) हिस्सा वादी सख्या 1 श्रवण कुमार :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 21/.1265 र (पूर्व ओर), पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 025 हैक्टेयर कुल 0.6325 हैक्टेयर आराजी।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 2 रामकुमार :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 11/.253, 253, 21/.1265 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) कुल 0.6325 हैक्टेयर आराजी।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 रामस्वरूप :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 12, 22, 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025 र कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 ओमप्रकाश :- पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 4/1/. , 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, पत्थर नम्बर 119/231 (44) किला नम्बर 1/1/.228, /.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी। इसी सार खाता अलग कर रकमराज अलग कायम किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। **तहसीलदार ानगढ को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन अथवा न्यायिक विवाद नहीं तो** व घोषित खातेदार काश्तकारान की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में लदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार ावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से खवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

ट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

संख्याः- 013/2026

श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

राम कुमार पुत्र स्व. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:वादीगण

बनाम

रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 10, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

लछमी उर्फ लछमी देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री लालचन्द जाति नायक निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

सुगना देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री हंसराज (फौत)

4/1 रिंकू पुत्र श्रीमती सुगना देवी/हंसराज जाति नायक निवासी करमगढ तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)

4/2 सुखविन्द्र पुत्र श्रीमती सुगना देवी/हंसराज (लाऔलाद फौत)

4/3 गीता देवी पुत्री श्रीमती सुगना देवी/हंसराज पत्नी श्री मंगाराम जाति नायक निवासी स्कूल के पास, करमगढ तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)

5 मीरा उर्फ मीरा देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

6 बिमला देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री चानणराम जाति नायक निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

7 सुखमा देवी उर्फ सुकमा देवी पुत्री स्व. श्री सहीराम पत्नी श्री कालुराम जाति नायक निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

8 चंदो देवी पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति नायक निवासी वार्ड 01, जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ

9 लिछमा देवी पुत्री स्व. श्रीचन्द पत्नी श्री विनोद कुमार जाति नायक निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

10 भागवंती पुत्री स्व. श्रीचन्द पत्नी श्री दाराराम जाति नायक निवासी वार्ड 02, चक 11 एलकेएस-ए, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

11 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री प्रदीप सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 10 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 12 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ खाता सं. 165/154 में दर्ज तादादी 3.795 में हिस्सा- **(i) हिस्सा वादी सख्या 1 श्रवण कुमार** :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) किला नम्बर 21/. 1265 हैक्टेयर (पूर्व ओर), पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.

.025 हैक्टेयर कुल 0.6325 हैक्टेयर आराजी। **(ii) हिस्सा वादी संख्या 2 रामकुमार** :- पत्थर /230 (39) किला नम्बर 11/.253, 20/.253, 21/.1265 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) कुल 0. यर आराजी। **(iii) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप** :- पत्थर नम्बर 118/230 (39) 12, 19, 22, 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 118/231 (43) किला नम्बर 3/2/.025 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी। **(iv) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश** म्बर 118/231 (43) किला नम्बर 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, पत्थर /231 (44) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी।। इसी अनुसार खाता अलग कर रकमराज अलग कायम **तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन** **यक विवाद नहीं हो तो डिक्री की पालना में अमलदरामद किया जावे।** भूमि की किस्म (यथा /गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।। XX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह ाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.02.2026 को जारी किया गया।
रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।

(मांगीलाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ